मुकदमा नम्बर 106 सन 2010 अनवान [illegible] बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/8/18	अधिवक्ता फरीकैन उपस्थित वकील वादी व वादी के द्वारा अभी तक वादपत्र का संशोधन का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है जबकि पूर्व में काफी समय दिया जा चुका है। न्यायहित में एक अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 20/9/2018 को पेश हो। 8	
20/9/18	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. ओ. साहब आज … बार … [illegible] … है। पत्रावली दि. 13.11.18 को पेश हो। [signature]	
13/11/18	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. ओ. साहब …अवकाश/18 … पत्रावली दि. 11.1.19 को पेश हो। [signature]	
11/1/19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली दि. 19.2.19 को पेश हो। [signature]	
19.2.19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. ओ. साहब बार संघ का कार्य … [illegible] … स्थगित है। पत्रावली दि. 11.4.19 को पेश हो। [signature]	
11.4.19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। वाद … [illegible] … है। पत्रावली दि. 24.6.19 को पेश हो। [signature]	
24/6/19.	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 का अधिवक्ता, तथा प्रतिवादी 1, 2 की ओर से [illegible] उपस्थित, वादी का दस्तावेज पेश करने हेतु समय पूर्व में दिया जा चुका है व वादी	

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर सन् अनवान- बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है। मृतक का वाद विचाराधीन नही रह सकता है पुनः वादी के पूर्व अधिवक्ता को आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नही न ही वादीगण के वारिसान उपस्थित नही मृतक का [illegible] वाद विचाराधीन नही रह सकता है [illegible] अतः वादी की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान को पक्षकार बनाने का काफी समय दिये जाने उपरान्त पक्षकार नही बनाने के कारण वाद वादी अबेट होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश जारी खुले न्यायालय सुनाया गया।	[illegible signature]